न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 15/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
किशोर राम उर्फ रामकिशोर पुत्र जयराम जाति बावरी निवासी सोनेली तहसील जायल		राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार डेह, तहसील जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.04.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 71/2016 सरकार बनाम किशोरराम में निर्णय दिनांक 27.01.17 के तहत मौजा सोनेली के खसरा नं. 713 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. अंगौर से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.02.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.02.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 27.01.17 को निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पक्षपातपूवर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा तथाकथित रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट का खसरा नं. 713 के रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. अंगौर की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है और न ही कोई पत्थर, घास पूस व लकडिया डालकर अतिक्रमण किया हुआ है।

{2}(V)–खसरा नं. 713 पर इससे पूर्व भी न तो अपीलांट का कभी कब्जा रहा है और न ही अपीलांट को दिनांक 23.11.16 को बेदखल किया। सारे तथ्य मनगढंत व बेबुनियाद होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का पश्चात्वृति अतिक्रमण मानने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है तथा मौके पर अतिक्रमण हटा भी लिया गया है।

{2}(VI)–अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्दो व उसके द्वारा दी गई साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिये बिना ही उक्त साक्ष्य के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया जो अवैध है।

{2}(VII)–अपीलांट अनुसूचित जाति का अनपढ व गरीब काश्तकार है तथा मौके पर कब्जा नही होने के बावजूद भी 3 माह की सिविल कारावास व जुर्माने का दण्डादेश देने में कानूनी गलती की है। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सोनेली में स्थित गै.मु. अंगौर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सोनेली के खसरा नंबर 713 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि है तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इससे पहले प्रकरण सं. 60/16 सरकार बनाम किशोरराम में आदेश दिनांक 17.11.16 के द्वारा अपीलांट को आराजी भूमि से बेदखली के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया जाना एवं उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.11.2016 को भौतिक रूप से बेदखल किया जाना फर्द बेदखली से साबित है तथा उक्त बेदखली को बयान पटवारी से साबित भी करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृति होना भी रेकर्ड से साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर